POLICE COMMISSIONERATE

GAUTAM BUDH NAGAR

सराहनीय कार्य/ प्रेस विज्ञप्ति - दिनाकं 03.08.2022

1-थाना सेक्टर-58 नोएडा पुलिस द्वारा मोबाइल चोर गैंग के तीन सदस्य गिरफ्तार, कब्जे से चोरी के 03 मोबाइल फोन व चोरी की मोटरसाइकिल बरामद।

दिनांक 02.08.2022 को थाना सेक्टर-58 नोएडा पुलिस द्वारा मोबाइल चोर गैंग के तीन सदस्य 1.ब्रजेश मिश्रा पुत्र महेश्वर दयाल मिश्रा निवासी सरस्वती विहार, खोडा कॉलोनी, थाना खोडा, जिला गाजियाबाद, 2.रितिक पुत्र राजेश निवासी साहिल पब्लिक स्कूल के पास, वंदना एन्कलेव, खोडा कॉलोनी, थाना खोडा, जिला गाजियाबाद, 3.विवेक पुत्र देवेन्द्र कुमार निवासी साहिल पब्लिक स्कूल के पास, वंदना एन्कलेव, खोडा कॉलोनी, थाना खोडा, जिला गाजियाबाद को थाना क्षेत्र के शिप्रा कट, सेक्टर-62, नोएडा से गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्तों के कब्जे से चोरी की मोटरसाइकिल हीरो होण्डा स्पलेण्डर नं0 डीएल13एसजी-2163 व चोरी के 03 मोबाइल फोन बरामद हुए है।

अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी है, इनके द्वारा चोरी की मोटरसाइकिल पर सवार होकर भीड़भाड़ वाले स्थानों/पार्को से घुमने आये लोगो से मोबाइल चोरी किये जाते है। अभियुक्तों द्वारा दिनांक 01.08.2022 को सेक्टर-54, नोएडा के पार्क से तीन मोबाइल फोन चोरी किये गये थे, जिसके सम्बन्ध में थाना सेक्टर-24 नोएडा पर मु0अ0सं0 278/22 धारा 379 भादवि पंजीकृत है।

अभियुक्तों का विवरणः

1.ब्रजेश मिश्रा पुत्र महेश्वर दयाल मिश्रा निवासी सरस्वती विहार, खोडा कॉलोनी, थाना खोडा, जिला गाजियाबाद।

2.रितिक पुत्र राजेश निवासी साहिल पब्लिक स्कूल के पास, वंदना एन्कलेव, खोडा कॉलोनी, थाना खोडा, जिला गाजियाबाद।

3.विवेक पुत्र देवेन्द्र कुमार निवासी साहिल पब्लिक स्कूल के पास, वंदना एन्कलेव, खोडा कॉलोनी, थाना खोडा, जिला गाजियाबाद।

आपराधिक इतिहास का विवरणः

1.मु0अ0सं0-334/2022 धारा 411, 414 भादवि थाना सेक्टर-58, गौतमबुद्धनगर।

2.मु0अ0सं0-278/22 धारा 379 भादवि थाना सेक्टर-24, गौतमबुद्धनगर।

बरामदगी का विवरणः

1. चोरी के 03 मोबाइल फोन (सम्बन्धित मु0अ0सं0-278/22 धारा 379 भादवि थाना सेक्टर-24, नोएडा)

2.चोरी की 01 मोटरसाइकिल हीरो होण्डा स्पलेण्डर नं0 डीएल13एसजी-2163

2-थाना जेवर पुलिस द्वारा फर्जी दस्तावेज तैयार कर जमीन का फर्जी तरीके से बैनामा तैयार करने वाले गिरोह का भांडा फोड करते हुए महिला अभियुक्ता सहित 03 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से फर्जी आधार कार्ड, पैन कार्ड व पीड़िता के खेत की छायाप्रति खतौनी बरामद।

दिनांक 03/08/2022 को थाना जेवर पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 290/2022 धारा 419/420/120बी भादवि से सम्बन्धित अभियुक्त 1.प्रहलाद पुत्र तोता राम निवासी ग्राम नीमका, थाना जेवर, गौतमबुद्धनगर, 2.अतर सिंह पुत्र दीवान सिंह निवासी ग्राम सिकोही, थाना अहार, जिला बुलन्दशहर व महिला अभियुक्ता 3.पिंकी पत्नी राजबहादुर निवासी छपरौला, थाना बादलपुर, गौतमबुद्धनगर को थाना क्षेत्र के खुर्जा अण्डरपास से गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्तों के कब्जे से फर्जी आधार कार्ड, पैन कार्ड व वादिया वीरवती के खेत की छायाप्रति खतौनी बरामद की गई है।

घटना का विवरणः

अभियुक्त अतर सिंह पूर्व में हत्या के अभियोग में जिला कारागार, गाजियाबाद में निरूद्ध था। तभी उसकी मुलाकात अभियुक्त अमित उर्फ शोभा उर्फ जे.पी पुत्र फतेहराम निवासी नीमका, थाना जेवर, गौतमबुद्धनगर से हुई थी। दोनो में दोस्ती हो गयी व जेल से बाहर आकर ये धोखाधडी जैसे कृत्यो में संलिप्त हो गये। अभियुक्त अतर सिंह के माध्यम से अमित उर्फ शोभा की मुलाकात पिंकी से हुई एवं प्रहलाद सिंह जो प्रोपर्टी डीलिंग का कार्य करता था उन चारों लोगों ने आपस से षडयन्त्र कर वीरवती पत्नी जगत सिंह निवासी गेझा, थाना फेस-2, नोएडा जिनकी 14 बीघा जमीन जो ग्राम बंकापुर में थी उनका फर्जी आधार कार्ड बनवाकर उनकी जमीन को बेचने की फिराक में थे।

अपराध करने का तरीकाः

अभियुक्त थाना जेवर क्षेत्र में ऐसे व्यक्तियो की जमीन/ प्रोपर्टी जो कही बाहर रहते है या उनकी मृत्यु हो गयी है की जमीन व प्रोपर्टी चिन्हित कर प्रोपर्टी की फर्जी खतौनी तैयार कर मालिक की फर्जी आई.डी बनाकर व उस पर किसी अन्य व्यक्ति का फोटों लगाकर अवैध धन लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से किसी अन्य क्रेता को प्रोपर्टी/जमीन फर्जी तरीके से बेच देते है । इसी प्रकार दिनांक 01/08/2022 को रजिस्ट्रार कार्यालय जेवर पर श्रीमती वीरवती पत्नी स्व0 जगत सिंह निवासी गेझा, सेक्टर-93, नोएडा के खसरा संख्या 146, रकबई लगभग 14 बीघा, स्थित ग्राम बंकापुर की जमीन के सम्बन्ध में

श्रीमती वीरवती के स्थान पर श्रीमती पिंकी पत्नी राज बहादुर निवासी छपरौला, थाना बादलपुर, गौतमबुद्धनगर को श्रीमती वीरवती बनाकर फर्जी आधार कार्ड व पैन कार्ड तैयार कर उक्त जमीन को बेचने का प्रयास किया गया।

अभियुक्तों का विवरणः

1.प्रहलाद पुत्र तोता राम निवासी ग्राम नीमका, थाना जेवर, गौतमबुद्धनगर।

2.अतर सिंह पुत्र दीवान सिंह निवासी ग्राम सिकोही, थाना अहार, जिला बुलन्दशहर।

3.पिंकी पत्नी राजबहादुर निवासी छपरौला, थाना बादलपुर, गौतमबुद्धनगर।

पंजीकृत अभियोग/आपराधिक इतिहास का विवरणः

1.मु0अ0सं0 290/2022 धारा 419/420/467/468/471/120बी भादवि थाना जेवर, गौतमबुद्धनगर।

2.मु0अ0सं0 142/10 धारा 302/201/394 भादवि थाना जहांगीरपुर, बुलंदशहर बनाम अतर सिंह।

3.मु0अ0सं0 156/10 धारा 307 भादवि थाना जहांगीरपुर, बुलंदशहर बनाम अतर सिंह।

4.मु0अ0सं0 157/10 धारा 3/25 आयुध अधि0 थाना जहांगीरपुर, बुलंदशहर बनाम अतर सिंह।

बरामदगी का विवरणः

1.फर्जी आधार कार्ड

2.पैन कार्ड

3.वादिया वीरवती के खेत की छायाप्रति खतौनी

3-थाना इकोटेक-3 पुलिस द्वारा हत्या करने की नियत से हमला करने वाला एक वाँछित अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से घटना में प्रयुक्त रक्त लगा 01 चाकू व एक मोटरसाइकिल(सीजशुदा) बरामद।

दिनांक 03.08.2022 को थाना इकोटेक-3 पुलिस द्वारा हत्या करने की नियत से हमला करने वाला एक वाँछित अभियुक्त कुनाल पुत्र अजब सिह निवासी ग्राम जौन समाना, थाना बादलपुर, गौतमबुद्धनगर को थाना क्षेत्र के मारीपत स्टेशन से वैदपुरा जाने वाले रास्ते पर मोड के पास से गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्त के कब्जे से घटना में प्रयुक्त रक्त लगा 01 चाकू व एक मोटरसाइकिल(सीजशुदा) यामाहा आर15 यूपी 16 एएन 3388 बरामद की गई है।

अभियुक्त कुनाल पुत्र अजब सिह द्वारा अपने साथी के साथ षडयन्त्र रचकर दिनांक 31.07.22 की रात्री को वादी सतवीर पुत्र रिछपाल सिह निवासी ग्राम जौन समाना, थाना बादलपुर, गौतमबुद्धनगर के पुत्र मोहित को जान से मारने की नियत से गले पर चाकुओ से ताबडतोड वार करके गम्भीर रुप से घायल करके मौके से भाग गया था जिसके सम्बन्ध में थाना इकोटेक-3 पर मु0अ0सं0 318/22 धारा 307/120बी भादवि पंजीकृत है।

अभियुक्त का विवरणः

कुनाल पुत्र अजब सिह निवासी ग्राम जौन समाना, थाना बादलपुर, गौतमबुद्धनगर।

पंजीकृत अभियोग का विवरणः

1.मु0अ0सं0 318/22 धारा 307/120 बी भादवि थाना इकोटेक-3, गौतमबुद्धनगर।

2.मु0अ0सं0 324/22 धारा 4/25 ए0 एक्ट थाना इकोटेक-3, गौतमबुद्धनगर।

बरामदगी का विवरणः

1.एक अवैध चाकू (रक्त लगा हुआ)

2.एक मोटरसाइकिल घटना मे प्रयुक्त यामाहा आर15 यूपी 16 एएन 3388